

नक्षत्र सिंह आदि बनाम गुरजन्त सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट नम्बर 02 सन् 2017
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2017/00082

मिल
क्रम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

2025

अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्त अधिवक्ता के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि राजस्व ग्राम 3 ओ के विरास्तन इन्तकाल संख्या 176/3 दिनांक 01.08.1999 को निरस्त किया जाकर पंजीकृत बैयनामा के आधार पर इन्तकाल अपीलांत के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे। रेस्पोंडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में अपील अपीलांत खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। लिहाजा अपीलान्त अधिवक्ता के द्वारा राजस्व ग्राम 3 ओ के विरास्तन इन्तकाल संख्या 176/3 दिनांक 01.08.1999 को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु विरास्तन इन्तकाल संख्या 176/3 दिनांक 01.08.1999 को दर्ज हुए 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। विरास्तन इन्तकाल अन्तिम हो चुका है। इसलिए अपील अपीलांत मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलान्त अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज की जाती हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीमानगर)

